न्यायालय– जिला न्यायाधीश, डीडवाना, जिला डीडवाना–कुचामन(राज.)

पीठासीन अधिकारी :– नाहर सिंह मीणा (जिला न्यायाधीश संवर्ग)

दीवानी मूल अपील प्रकरण सं. :– 05/2021

सी.एन.आर. नंबर :– RJDK010002712021

भंवरू खां पुत्र फरीद खां, उम्र 56 वर्ष, निवासी दीनदरवाजा बाहर, डीडवाना, जिला डीडवाना–कुचामन (राज.)।

–अपीलार्थी

बनाम

1. फुले खां पुत्र अहमद खां, उम्र–61 वर्ष,
2. अलादीन खां पुत्र अहमद खां (फौत) के विधिक प्रतिनिधिगण–

2/1–जमीला बानो पत्नी अलादीन खां, उम्र–56 वर्ष,

2/2–रजाक पुत्र अलादीन खां, उम्र–36 वर्ष,

2/3–इमरान पुत्र अलादीन खां, उम्र–33 वर्ष,

2/4–मदीना पुत्री अलादीन खां, उम्र–37 वर्ष,

2/5–राजू पुत्री अलादीन खां, उम्र–34 वर्ष,

निवासीयान–दीनदरवाजा के बाहर, डीडवाना, तहसील–डीडवाना, जिला–डीडवाना कुचामन ।

3. मुश्ताक खां पुत्र अहमद खां, उम्र–56 वर्ष,
4. रणजीत खां पुत्र अहमद खां, उम्र–51 वर्ष,
5. भंवरू खां पुत्र अब्दु खां, उम्र–76 वर्ष,
6. मुकारब खां पुत्र अब्दु खां, उम्र–67 वर्ष,

समस्त निवासीगण–दीनदरवाजा बाहर, डीडवाना, जिला डीडवाना–कुचामन (राज.)।

–प्रत्यर्थीगण.

अपील अन्तर्गत आदेश 96 सपठित धारा 41 नियम 1 व 2 सिविल प्रक्रिया संहिता

अपीलार्थी भंवरू खां की ओर से यह अपील निर्णय एवं डिक्री दिनांक 02.02.2021 द्वारा न्यायालय, सिविल न्यायाधीश, डीडवाना, पीठासीन अधिकारी रंजना (आर.जे.एस.) द्वारा दीवानी मूल वाद सं. 39/2017 बउनवान भंवरू खां बनाम फुले खां वगैराह में पारित किया गया, के विरुद्ध पेश की गयी।

उपस्थितः–

1. श्री राजेन्द्र कुमार माथुर, विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी की ओर से।
2. श्रीमती संतोष जाजू, विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थी सं. 1 व 3 ता 6 की ओर से।
3. प्रत्यर्थी सं.2 के वारिसान की ओर से कोई उपस्थित नहीं ।

– **निर्णय** – **दिनांक–20.08.2026**

1. प्रस्तुत अपील अपीलार्थी भंवरू खां द्वारा प्रत्यर्थीगण फुले खां वगैरह के विरूद्ध, न्यायालय, सिविल न्यायाधीश, डीडवाना (जिसे आगे निर्णय के दौरान विचारण न्यायालय के नाम से संबोधित किया जायेगा) द्वारा दीवानी मूल प्रकरण सं 39/2017 बउनवान भंवरू खां बनाम फुले खां में पारित निर्णय/डिक्री दिनांक 02.02.2021 से व्यथित होकर न्यायालय, अपर सेशन न्यायालय, डीडवाना में दिनांक 26.02.2021 को प्रस्तुत की गई। कालांतर में राजस्थान सरकार, विधि एवं विधिक कार्य विभाग के आदेश क्रमांक प.1/(2)न्याय/2023 दिनांक 02.01.2025 एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के आदेश क्रमांक Gen./II/03/ 2025/ 968–969 दिनांक 04.06.2025 से इस न्यायक्षेत्र में जिला एवं सेशन न्यायालय, डीडवाना पृथक होने से यह पत्रावली अंतरित होकर इस न्यायालय में प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई।
2. अपीलार्थी/वादी के अनुसार हस्तगत अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि वादी की ओर से विचारण न्यायालय में एक वाद इस आशय का प्रस्तुत किया गया था कि वादी का रहवासी मकान दीनदरवाजा के बाहर, डीडवाना में स्थित है, जिसके पड़ौसी पूर्व में आम चौक व रास्ता तथा निकाल–पैसार, पश्चिम में कासम खाँ का मकान, उत्तर मुशरफ खॅा व भंवरू खॅा का मकान, दक्षिण में हुसैन खॅा का मकान है। उक्त मकान की उत्तरी व दक्षिणी सीमा 58 फुट तथा पूर्वी सीमा 24 फुट व पश्चिमी सीमा 28 फुट है। उक्त जायगा वादी की कब्जा व रजिस्ट्रीसुदा है जो रजिस्ट्री वादी के पिता के नाम से है एवं वादी ने स्वर्गीय फरीद खॅा के अन्य वारिसान को अन्य जगह दे दी है, जिस कारण से सम्पूर्ण जायगा वादी की कब्जा सुदा व रजिस्ट्री सुदा है। उक्त जायगा का नक्शा जो वादी ने प्रस्तुत किया है। प्रतिवादीगण स्वर्गीय मुशरफ खाँ के वारिसान है एवं उक्त प्रतिवादीगण की उक्त रास्ते की जायगा पर अपना हक व अधिकार होना बताते है, जिस कारण से उन्हें पक्षकार बनाया गया है। वादी की उक्त जायगा पर पूरा निर्माण कार्य करवाया हुआ है, उक्त जायगा पूर्व में दिनाक 19.07.1954 को जरिये पब्लिक ऑक्सन में मुशरफ खॅा कायमखानी ने खरीद की थी। दिनाक 07.05.1959 को मुशरफ खाँ ने उक्त जायगा महादेव सोनी को बेचान की थी। इसमें से आधी जायगा वादी के पिता ने जरिये बैचान दिनांक 29.02.1963 को खरीद की तब से वादी का ही कब्जा चला आ रहा है। उक्त समस्त दस्तावेजात की प्रतियाँ पेश है। वादी के पूरब में जो रास्ता खालसा चौक व निकाल–पैसार है एवं जो रास्ता उत्तर की ओर जाता है जिस पर नगरपालिका, डीडवाना द्वारा सड़क व नाली का निर्माण बिजली के पोल व

सिवरेज लाईन भी डाली हुई है। उक्त रास्ते पर प्रतिवादीगण ने अभी दो–ढाई माह पहले पिलर वादी के रहवासी मकान के मुख्य दरवाजे से ढाई फुट उत्तर की ओर जो सार्वजनिक नाली है, उस पर पत्थर लगा कर के करीब तीन फुट लम्बा छः फुट उंचा निर्माण करके लोहे का गेट चढ़ा दिया है, जो कतई बिना हक व अधिकार के प्रतिवादीगण ने लगाया है, जो स्पष्ट रूप से सार्वजनिक रास्ते पर किये गये अतिक्रमण की तारीफ में आता है। उक्त गेट चढ़ाने के बाद में वादी के मकान के आगे पिलर बना देने से एवं गेट चढ़ा देने से रास्ते में रूकावट पैदा हो गई है एवं गाड़ीयाँ वगैराह खड़ी रहने लग गई है, जबकि उक्त रास्ता सार्वजनिक रास्ता है। फिर भी प्रतिवादीगण मान नहीं रहे है। उक्त गेट व पिलर बनाने के बाद वादी ने काफी चाराजोही प्रतिवादीगण से की तो प्रतिवादीगण, वादी को यह कहते रहे कि उक्त जायगा उनकी पट्टासुदा व कब्जासुदा है, वे ही इसका उपयोग व उपभोग करेंगे। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के मुख्य दरवाजे से ढ़ाई फुट पर जो पिलर बनाया है एवं इसके बाद में करीब छः साढ़े छः फुट भूमि वादी की दीवार के रूप में वहाँ स्थित है एवं दिवार बनी हुई है, अगर प्रतिवादीगण को पिलर ही बनाना है तो उक्त दिवार के बाद में बनाया जा सकता है किन्तु प्रतिवादीगण मान नहीं रहे है तथा भविष्य में भी अन्य प्रकार से निर्माण कार्य कर सकते हैं, जिस कारण से प्रतिवादीगण को रोका जाना जरूरी है तथा जो पिलर व गेट बनाया गया है, उसे हटाया जाना भी जरूरी है। दिनाक 01.05.2017 को प्रतिवादीगण द्वारा यह धमकी दिये जाने पर कि वे तो और निर्माण कार्य करेगें एवं दो–ढाई महीने पहले जो पिलर निर्माण किया है, तब से आज तक बिनाय दावा पैदा होता जा रहा है। वादी ने वादी के मकान के मुख्य दरवाजे के पास जो प्रतिवादीगण ने पिलर व गेट चढ़ाया है, उसे हटवाया जाने एवं ऐसी डिक्री पारित की जाने कि भविष्य में प्रतिवादीगण किसी प्रकार का कोई निर्माण वादी के मकान से चिपता नहीं करें तथा न ही किसी से कराये का निवेदन किया है।

3. वादी के उक्त वादपत्र का प्रतिवादीगण/प्रत्यर्थीगण की ओर से जवाबदावा पेश कर वादी के वादपत्र में अंकित अधिकांश तथ्यों को गलत बताते हुये उल्लेखित किया है कि पूर्व में आम चौक छोटा–सा अवश्य है लेकिन रास्ता नहीं है तथा वादी का निकाल पेसार है। प्रतिवादीगण मुशरफ खां के वारिसान है। वादी का रास्ता दक्षिणी तरफ है तथा जो पूर्व से दक्षिणी तरफ जाता है। उत्तर की तरफ प्रतिवादीगण के परिवार के मकान बने हुए हैं तथा प्रतिवादीगण का व्यक्तिगत रास्ता है, न कि कोई सार्वजनिक रास्ता हो। उक्त जगह सार्वजनिक नहीं बल्कि प्रतिवादीगण की व्यक्तिगत पट्टेशुदा भूमि है। प्रतिवादीगण की उक्त भूमि सार्वजनिक नहीं है बल्कि व्यक्तिगत है तथा प्रतिवादीगण का व्यक्तिगत

दरवाजा है तथा वादी का कोई भी रास्ता उत्तर की तरफ नहीं है। वादी को उक्त दावा करने का कोई भी आधार प्राप्त नहीं है। बिना घोषणा के केवल मात्र रास्ता बाबत चिर व्यादेश का वाद नहीं चल सकता इसलिये वाद खारिज किये जाने योग्य है। इसके अतिरिक्त प्रतिवादीगण ने अतिरिक्त कथन कर निवेदन किया कि वादी के उत्तर की तरफ प्रतिवादीगण की पट्टेशुदा भूमि है। उक्त पट्टा प्रतिवादीगण के दादा स्व. मुसरफ खां के नाम का है जो दिनांक 12.03.1942 का जोधपुर दरबार का बना हुआ है, जो 4658 वर्गगज भूमि है। स्व. मुसरफ खां के वंश वृक्ष का वर्णन पत्रावली में किया हुआ है। स्व. मुसरफ खां की मृत्यु के पश्चात् प्रतिवादीगण के पिता ने उक्त भूमि का आपस में बंटवारा कर लिया तथा समस्त प्रतिवादीगण ने अपने–अपने रहवासी मकान बना लिये तथा अपनी पट्टेशुदा भूमि में एक आम चौक भी रख रखा है तथा उक्त पटटेशुदा भूमि में अपना स्वयं का रास्ता बना रखा है। वादी के उत्तर की तरफ कोई भी सार्वजनिक रास्ता नहीं है। उत्तरी तरफ की समस्त भूमि प्रतिवादीगण की है। यदि उत्तर की तरफ रास्ता होता तो वादी अपने मकान की खिड़की या दरवाजा अवश्य ही रखता लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि उक्त भूमि प्रतिवादीगण की पट्टेशुदा है इसलिए वादी प्रतिवादीगण को उत्तरी तरफ किसी भी प्रकार की कोई लोकस स्टेण्डाई नहीं है। वादी उक्त भूमि को सार्वजनिक रास्ते की भूमि बता रहा है तथा सार्वजनिक रास्ते की मालिक नगरपालिका होती है। वादी ने उक्त वाद में नगरपालिका को पक्षकार नहीं बनाया है। प्रतिवादी का गेट पट्टेशुदा भूमि में है न कि वादी की भूमि में स्थित है। प्रतिवादीगण के द्वारा उक्त गेट अपनी सुरक्षा के लिए तथा पट्टेशुदा भूमि में लगा रखा है जिसको हटाने का वादी को कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं है। यदि वादी का उत्तर की तरफ रास्ता होता तो वादी घोषणात्मक व रास्ते का सुखाधिकार का दावा पेश करता, बिना घोषणा के चिर व्यादेश का वाद चलने योग्य नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है। वादी का प्रतिवादीगण के मकान के उत्तरी तरफ कभी रास्ता ही नहीं रहा तथा ना ही प्रतिवादीगण के द्वारा गेट व पिलर वादी की जगह पर बनाये है तथा ना ही सार्वजनिक जगह पर बनाये हुए हैं। प्रतिवादीगण का गेट व पिलर पट्टेशुदा भूमि पर बनाये हुए हैं। वादी ने प्रतिवादीगण को झूठा तंग व परेशान करने के लिए उक्त दावा किया है इसलिए प्रत्येक प्रतिवादी को हर्जाने स्वरूप 50,000/– अक्षरे पचास हजार रूपये वादी से दिलाये जाने का निवेदन किया है। अंत में जवाबदावा मय शपथ पत्र पेश कर वादी का वाद भारी हर्जे व खर्चे के साथ खारिज फरमाया जाने का निवेदन किया।

4. पक्षकारान के अभिवचनों के आधार पर विचारण न्यायालय द्वारा निम्नांकित विवाद्यक विरचित किये गए–

1. आया वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की आज्ञापक व्यादेश की डिक्री प्राप्त करने का अधिकारी है कि प्रतिवादीगण द्वारा वादी के मकान के मुख्य द्वार के पास निर्मित पिलर व गेट को हटाया जावे?

–जिम्मे वादी

2. आया वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का शाश्वत व्यादेश प्राप्त करने का अधिकारी है कि प्रतिवादीगण वादी के मकान के चिपते ही कोई निर्माण नहीं करें?

–जिम्मे वादी

3. आया वादी का वाद आवश्यक पक्षकार को संयोजित न किए जाने के कारण खारिज किए जाने योग्य है?

–जिम्मे प्रतिवादीगण

4. आया वादी का वाद घोषणात्मक अनुतोष का न होने से खारिज किए जाने योग्य है?

–जिम्मे प्रतिवादीगण

5. अनुतोष?

5. वादी की ओर से अपने वादपत्र के समर्थन में गवाह पी.डब्ल्यू.1 भंवरू खां, पी.डब्ल्यू.2 फिरोज खां, पी.डबल्यू. 3 हबीब खां को न्यायालय में परीक्षित करवाया गया तथा प्रलेखीय साक्ष्य में प्रदर्श–01 आदेशिका दिनांक 06.01.2018 की प्रमाणित प्रति, प्रदर्श–02 मौका रिपोर्ट, प्रदर्श–03 नक्शा, प्रदर्श–04 व 05 फोटोज़, प्रदर्श–06 महादेव सोनी द्वारा फरीद खां को किया गया बेचाननामा, प्रदर्श–07 मुशरफ खां द्वारा महादेव को किया गया बेचाननामा, प्रदर्श–08 न्यायालय द्वारा इजराय में उक्त जमीन का बेचान व प्रदर्श–09 वादी द्वारा प्रस्तुत नक्शा को पेश कर प्रदर्शित करवाया गया।

6. प्रतिवादीगण की ओर से मौखिक साक्ष्य में गवाह डी.डब्ल्यू.–1 भंवरू खां, डी.डब्ल्यू.2 फुले खां, डी.डब्लयू.–3 अल्लादीन खां को परीक्षित करवाया गया व प्रलेखीय साक्ष्य में प्रदर्श ए.1 पट्टा की प्रमाणित प्रति को पेश कर प्रदर्शित करवाया है ।

7. तत्पश्चात् विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा उभय पक्षों की बहस सुनकर दिनांक 02.02.2021 को आक्षेपित निर्णय पारित कर वादी का वाद विरुद्ध प्रतिवादीगण अस्वीकार कर खारिज कर दिया तथा खर्चा पक्षकारान द्वारा अपना–अपना वहन करने का आदेश दिया गया, जिस निर्णय से व्यथित होकर अपीलार्थी/वादी की ओर से यह अपील इस न्यायालय में पेश की गई है।

8. अपील के आधारों में अपीलार्थी ने उल्लेखित किया है कि आलौच्य निर्णय व डिक्री पारित करने में विद्वान विचारण न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य व रिकॉर्ड एवं अभिकथनों की अनदेखी की है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा तथ्यों की पूर्णतया अनदेखी कर आलौच्य आदेश पारित कर भारी भूल की है। अंत में अपीलाधीन निर्णय निरस्त फरमाया जाकर अपीलार्थी/वादी द्वारा चाहा गया अनुतोष विरुद्ध प्रतिवादीगण/ प्रत्यर्थीगण डिक्री फरमाये जाने का निवेदन किया।

9. विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी ने मौखिक बहस के दौरान अपने अपील मीमो में वर्णित तथ्यों की पुनरावृत्ति करते हुये तर्क दिया कि विचारण न्यायालय द्वारा पारित आलौच्य निर्णय दिनांक 02.02.2021 पारित करने में भारी विधिक एवं ताथ्यिक त्रुटि की है व निर्णय विधि अनुसार पारित नहीं किया गया है। विचारण न्यायालय द्वारा वादी/ अपीलार्थी के दावे के अभिकथनों की पूर्णतः अनदेखी की गयी है। अंत में अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर आलौच्य निर्णय अपास्त कर अपीलार्थी के पक्ष में वाद डिक्री किए जाने का निवेदन किया।

10. प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने अपीलार्थी की ओर से मौखिक बहस करते हुये निवेदन किया गया है कि विचारण न्यायालय द्वारा आलौच्य निर्णय/डिक्री पत्रावली पर प्रस्तुत मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर पारित करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की गई है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय में किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता, अनियमितता व अशुद्धता नहीं होने से अपीलार्थी की अपील खारिज किये जाने का निवेदन किया।

11. उभय पक्ष के तर्कों पर मनन किया, अभिलेख व विचारण न्यायालय के आलौच्य निर्णय का समग्रता से ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के तहत विरचित विवाद्यकों के संबंध में इस न्यायालय का विवेचन व विश्लेषण इस प्रकार से है–

12. **विवाद्यक सं.1 व 2–** विवाद्यक सं.1 व 2 को साबित करने का भार वादी पर था। दोनों विवाद्यक एक–दूसरे से संबंधित होने व तथ्यों की पुनरावृत्ति के दोष से बचने के लिए इनका निस्तारण एक साथ किया जा रहा है। विवाद्यक संख्या 1 में वादी को यह साबित करना था कि वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की आज्ञापक व्यादेश की डिक्री प्राप्त करने का अधिकारी है कि प्रतिवादीगण द्वारा वादी के मकान के मुख्य द्वार के पास निर्मित पिलर व गेट को हटाया जावे। विवाद्यक संख्या 2 में वादी को यह साबित करना था कि वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की शाश्वत निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है कि प्रतिवादीगण वादी के मकान के चिपते ही कोई निर्माण नहीं करें। इस विवाद्यक के समर्थन में विचारण न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध उभयपक्ष की

मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन किया जावे तो वादी भंवरू खां ने अपनी साक्ष्य के दौरान मुख्य परीक्षा में वादपत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए प्रदर्श–01 आदेशिका दिनांक 06.01.2018 की प्रमाणित प्रति, प्रदर्श–02 मौका रिपोर्ट, प्रदर्श–03 नक्शा, प्रदर्श–04 व 05 फोटोज़, प्रदर्श–06 महादेव सोनी द्वारा फरीद खां को किया गया बेचाननामा, प्रदर्श–07 मुशरफ खां द्वारा महादेव सोनी को किया गया बेचाननामा, प्रदर्श–08 न्यायालय द्वारा इजराय में उक्त जमीन का बेचान व प्रदर्श–09 वादी द्वारा प्रस्तुत नक्शा को पेश कर प्रदर्शित करवाया। प्रतिपरीक्षा में वादी ने प्रतिवादीगण के इन सुझावों को स्वीकार किया गया है कि उसके मकान के सामने पूर्वी तरफ खुला चौक बना हुआ है। प्रदर्श–06 विक्रय पत्र में उत्तर दिशा की तरफ कोई रास्ता नहीं है व मुशरफ खां की जायगा है। प्रदर्श–07 में उत्तर दिशा में मुशरफ खां की जायगा बतायी हुयी है, कोई रास्ता नहीं है। उन्होंने स्व. फरीद खां के अन्य वारिसान को अन्य जगह देने का कोई दस्तावेज पत्रावली में पेश नहीं किया है। मुशरफ खां की जमीन उसकी रजिस्ट्री में उत्तर दिशा में दिखाई गई है, उसमें भंवरू खां, मुकारब खां, फुले खां, अलादीन खां, मुश्ताक खां व रणजीत खां के मकान व उनके सामने चौक बने हुए हैं। उसने नगरपालिका में उसका रास्ता बंद करने बाबत् कोई प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया। सार्वजनिक रास्तों की मालिक नगरपालिका होती है। उत्तर दिशा में उसके कोई जाली–जंगला नहीं है।

13. गवाह पीडबल्यू–02 फिरोज खां ने अपने साक्ष्य के शपथ–पत्र में वर्णित कथनों को दोहराते हुए प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि वादी के मकान का दरवाजा किस दिशा में है, वह दिशा में नहीं समझता है। वादी का पट्टा उसका देखा हुआ है, जमीन कितनी है वह नहीं बता सकता। गवाह ने प्रतिवादीगण के इस सुझाव को स्वीकार किया कि वादी भंवरू खां के मकान के सामने सार्वजनिक चौक बना हुआ है। गेट के अंदर चार–पांच भाईयों के मकान बने हुए हैं।

14. गवाह पीडबल्यू–03 हबीब खां ने अपने साक्ष्य के शपथ–पत्र में वर्णित कथनों को दोहराते हुए प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि उसके भाई के मकान का दरवाजा किस दिशा में है वह दिशा में नहीं समझता है। उसके भाई के मकान के सामने नानू खां का मकान है व उसके चिपते ही मुश्ताक खां का मकान है। नानू खां और उसके भाई भंवरू खां की दीवार की सीध में प्रतिवादी का दरवाजा बना हुआ है। लोहे के गेट के उत्तरी दिशा में जो मकान बनाए हुए हैं, वो मकान फुले खां, अलादीन खां, मुश्ताक खां, रणजीत खां, भंवरू खां व मुबारक खां के ही है। उसे नहीं पता लोहे का जो गेट चढ़ा हुआ है वह जमीन पट्टाशुदा हो।

15. इस विवाद्यक के खण्ड में प्रतिवादी पक्ष की ओर से मौखिक साक्ष्य में गवाह डी.डब्ल्यू.–01 भंवरू खां को परीक्षित करवाया जिसमें मुख्य परीक्षा में शपथ पत्र के कथनों को दोहराते हुए प्रदर्श ए.1 पट्टा का प्रमाणित प्रति को प्रदर्शित करवाया। प्रतिपरीक्षा में इस गवाह ने वादी के इस सुझाव को गलत बताया कि जिस तरफ गेट चढ़ा हुआ है उसके उत्तर में आम रास्ता हो अजखुद कहा कि उनका व्यक्तिगत रास्ता बना हुआ है। उत्तर की ओर पांच–छः फीट भंवरू खां का मकान है तथा दक्षिण की ओर उनका पिलर बना हुआ है।

16. गवाह डी.डब्ल्यू.02 फुले खां ने अपनी मुख्य परीक्षा में शपथ पत्र के कथनों की पुनरावृत्ति की। प्रतिपरीक्षा में इस गवाह ने कथन किया कि पिलर उनकी पट्टाशुदा भूमि में बनाया हुआ है, जिसके पीछे भंवरू खां की कोई जगह नहीं है। गवाह ने वादी के इस सुझाव को स्वीकार किया कि नजरी नक्शा प्रदर्श–09 में बी से एक्स भंवरू खां वादी के मकान की दीवार है। मार्क के से एल नाली बनी हुई है, जो व्यक्तिगत है। दक्षिण में नगरपालिका का चौक है।

17. गवाह डी.डब्ल्यू.–03 अलादीन खां ने अपनी मुख्य परीक्षा में शपथ–पत्र के कथनों की पुनरावृत्ति की। प्रतिपरीक्षा में इस गवाह ने कथन किया कि उसकी कुल जगह 4500 वर्गफुट है फिर कहा वर्गगज है। भंवरू खां के मकान से उत्तर की ओर नाली जाती है जो उनकी बनाई हुई है। गेट लगाए हुए दो साल हो गए। पिलर के बाद में उनकी स्वयं की जगह है। पिलर के बाद उत्तर की ओर भंवरू खां की दीवार बनी हुई है।

18. वादी की ओर से इन विवाद्यकों के माध्यम से प्रतिवादीगण द्वारा वादी के मकान के मुख्य द्वार के पास निर्मित पीलर व गेट को हटाने हेतु आज्ञापक व्यादेश व प्रतिवादीगण द्वारा वादी के मकान के चिपते ही कोई निर्माण नहीं कराने बाबत् शाश्वत व्यादेश का अनुतोष चाहा है, जिस संबंध में सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज पंजीकृत विक्रय–पत्र प्रदर्श–06 है, जो वादी की ओर से न्यायालय में पेश कर प्रदर्शित करवाया है। वादी द्वारा अपने वादपत्र एवं न्यायालय के समक्ष हुए अपने सशपथ बयानों की मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि प्रतिवादीगण द्वारा उनके रहवासी मकान के मुख्य दरवाजे के ढाई फीट उत्तर में, जहां सार्वजनिक रास्ते की भूमि है व नाली विद्यमान है, निर्माण कर लोहे का गेट चढ़ा दिया है परंतु साथ ही वादी की ओर से अपनी प्रतिपरीक्षा में इस तथ्य को स्वीकार किया गया है कि प्रदर्श–06 व प्रदर्श–07 बेचाननामों में उत्तर दिशा की तरफ कोई रास्ता नहीं है व उत्तर दिशा की तरफ मुशरफ खां की जायगा है। इस तथ्य की पुष्टि प्रदर्श–06 व 07 के अवलोकन से भी होती है। वादी की ओर से परीक्षित अन्य किसी भी गवाह ने वादी के मकान का दरवाजा किस दिशा में है व लोहे

के गेट को लगाने की तारीख आदि के बारे में कोई संपुष्टिकारक कथन अपनी साक्ष्य के दौरान नहीं किए हैं। इसके अतिरिक्त इन गवाहान की ओर से विवादित जायगा के पट्टे अथवा जायगा के नाप–चौक के बारे में भी कोई कथन नहीं किया गया है। वादी के अभिवचनानुसार यदि प्रतिवादीगण द्वारा सार्वजनिक रास्ते को बाधित करते हुए यदि कोई निर्माण आदि करके अतिक्रमण किया जाता तो इस संबंध में वादी द्वारा नगरपालिका, डीडवाना में अवश्य ही प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाता परंतु स्वयं वादी की ओर से अपनी प्रतिपरीक्षा में नगरपालिका में इस बाबत् कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किए जाने से इनकार किया है। इसके विपरीत प्रतिवादी पक्ष की ओर परीक्षित गवाहान ने एक स्वर में यह कथन किए हैं कि जिस तरफ गेट चढ़ा हुआ है उसके उत्तर में आम रास्ता नहीं है। पिलर उनकी पट्टाशुदा भूमि में बनाया हुआ है, जिसके पीछे भंवरू खां की कोई जगह नहीं है। प्रतिवादी पक्ष के उक्त अभिवचनों का खण्डन वादी/अपीलार्थी की ओर से किसी प्रकार की मौखिक अथवा दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर नहीं किया गया है। इस प्रकार वादी/अपीलार्थी की ओर से विचारण न्यायालय के समक्ष ऐसी कोई दस्तावेजी अथवा मौखिक साक्ष्य पेश नहीं की गयी जिससे वह उक्त विवाद्यकों में वर्णित अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी हो। दीवानी मामलों में वादी को अपने पैरों पर खड़े होकर अपने वाद को संपूर्ण संभाव्यताओं से परे साबित करना होता है, वह प्रतिवादीगण की भूल या कमियों का लाभ प्राप्त नहीं कर सकता है । अपीलार्थी/वादी द्वारा विवादित जायगा के मार्क बी से सी एल से एम की वस्तुस्थिति को साबित नहीं किया गया है मार्क बी के बाद की भूमि उसके स्वामित्व की हो, क्योंकि विचारण न्यायालय के आदेशानुसार मौका कमिश्नर द्वारा जो मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा पेश किया गया है, उसमें क्यू स्थान व तीर के चिन्ह अंकित स्थान को आम रास्ता जो सीमेंटेड होना एवं खुला चौक होना अंकित किया है, जिस रास्ते के उत्तरी–पश्चिमी व उत्तर–पूर्वी तरफ प्रतिवादीगण/प्रत्यर्थीगण के रहवासी मकान हैं । मौका रिपोर्ट को वादी ने अपनी साक्ष्य में प्रदर्शित कराया है । उक्त मौका स्थिति के आधार पर अनुसार विचारण न्यायालय द्वारा उक्त विवाद्यकों के संबंध में दिए गए विवेचन में किसी प्रकार की त्रुटि होना दर्शित नहीं होता है जिसमें हस्ताक्षेप किया जा सके इसलिए विचारण न्यायालय द्वारा उक्त विवाद्यकों के संबंध में दिए गए विवेचन की पुष्टि की जाती है एवं विवाद्यक सं. 01 व 02 को वादी/अपीलार्थी के विरुद्ध निर्णीत किया जाता है।

19. **विवाद्यक सं.3–** इस विवाद्यक को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर था, जिसमें प्रतिवादीगण को यह साबित करना था कि वादी का वाद आवश्यक पक्षकार को संयोजित न किए जाने के कारण खारिज किए जाने योग्य है। वादी भंवरू खां की ओर

से अपने वाद पत्र में प्रतिवादीगण द्वारा सार्वजनिक नाली पर पत्थर से निर्माण करते हुए लोहे का गेट चढ़ाकर अतिक्रमण करना कथित किया है परंतु वादी की ओर से उक्त वाद में नगरपालिका, डीडवाना को पक्षकार के रूप में संयोजित नहीं किया गया है, जिस तथ्य को वादी/अपीलार्थी ने अपनी साक्ष्य के दौरान स्वीकार किया है। स्वयं वादी द्वारा अपने अभिवचनों के माध्यम से विवादित स्थान को सार्वजनिक रास्ते की भूमि माना है। सार्वजनिक भूमि के संबंध में नगरपालिका, डीडवाना आवश्यक पक्षकार थी, जिसे वादी की ओर से वाद प्रस्तुत करने के समय अथवा विचारण के दौरान पक्षकार के रूप में संयोजित नहीं किया गया। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा उक्त विवाद्यक को प्रतिवादीगण के पक्ष में निर्णीत किया गया है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा उक्त विवाद्यक के संबंध में दिए गए विवेचन में किसी प्रकार की त्रुटि होना दर्शित नहीं होता है जिसमें हस्ताक्षेप किया जा सके इसलिए विचारण न्यायालय द्वारा उक्त विवाद्यक के संबंध में दिए गए विवेचन की पुष्टि की जाती है एवं विवाद्यक सं.3 को वादी/अपीलार्थी के विरुद्ध व प्रतिवादीगण/प्रत्यर्थीगण के पक्ष में निर्णीत किया जाता है।

20. **विवाद्यक सं.4–** इस विवाद्यक को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर था, जिसमें प्रतिवादीगण को यह साबित करना था कि वादी का वाद घोषणात्मक अनुतोष का न होने से खारिज किए जाने योग्य है। वादी की ओर से हस्तगत वाद हटाने पिलर व गेट एवं स्थाई निषेधाज्ञा हेतु पेश किया था जिसमें किसी प्रकार का घोषणात्मक अनुतोष वादी की ओर से नहीं चाहा गया। वादी का वाद घोषणात्मक अनुतोष के अभाव में किस प्रकार से चलने योग्य नहीं है, इस संबंध में कोई संपुष्टिकारक साक्ष्य प्रतिवादी पक्ष की ओर से न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं की गयी है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा उक्त विवाद्यक को प्रतिवादीगण के विरुद्ध निर्णीत किया गया है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा उक्त विवाद्यक के संबंध में दिए गए विवेचन में किसी प्रकार की त्रुटि होना दर्शित नहीं होता है जिसमें हस्ताक्षेप किया जा सके इसलिए विचारण न्यायालय द्वारा उक्त विवाद्यक के संबंध में दिए गए विवेचन की पुष्टि की जाती है एवं विवाद्यक सं.4 को वादी/अपीलार्थी के पक्ष में व प्रतिवादीगण/प्रत्यर्थीगण के विरुद्ध निर्णीत किया जाता है।

21. **अनुतोष** – चूंकि अपीलार्थी/वादी हस्तगत वाद में अपने जिम्मे के मुख्य विवाद्यक सं.1 व 2 को अपने पक्ष में साबित करने में पूर्णतया असफल रहा है, जबकि प्रतिवादीगण/प्रत्यर्थीगण अपने जिम्मे के विवाद्यक सं.3 को अपने पक्ष में साबित करने में पूर्णतया सफल रहे हैं, इसलिये विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आलौच्य निर्णय व डिक्री

दिनांक 02.02.2021 पुष्टि योग्य पाई जाती है। उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 02.02.2021 में हस्ताक्षेप की कोई गुंजाईश नहीं होने से अपीलार्थी/वादी की ओर से प्रस्तुत यह अपील एतद्द्वारा अस्वीकार कर खारिज किए जाने योग्य पाई जाती है।

– आदेश –

22. अतः अपीलार्थी भंवरू खां पुत्र फरीद खां, उम्र 56 वर्ष, निवासी दीनदरवाजा बाहर, डीडवाना, जिला डीडवाना–कुचामन (राज.) की ओर से प्रस्तुत यह अपील विरुद्ध प्रत्यर्थीगण 1. फुले खां पुत्र अहमद खां, उम्र–61 वर्ष,2.अलादीन खां पुत्र अहमद खां (फौत) के विधिक प्रतिनिधिगण–2/1–जमीला बानो पत्नी अलादीन खां, उम्र–56 वर्ष, 2/2–रजाक पुत्र अलादीन खां, उम्र–36 वर्ष, 2/3–इमरान पुत्र अलादीन खां, उम्र–33 वर्ष, 2/4–मदीना पुत्री अलादीन खां, उम्र–37 वर्ष, 2/5–राजू पुत्री अलादीन खां, उम्र–34 वर्ष, निवासीयान–दीनदरवाजा के बाहर, डीडवाना, तहसील–डीडवाना, जिला–डीडवाना कुचामन,3.मुश्ताक खां पुत्र अहमद खां, उम्र–56 वर्ष,4. रणजीत खां पुत्र अहमद खां, उम्र–51 वर्ष,5. भंवरू खां पुत्र अब्दु खां, उम्र–76 वर्ष, 6. मुकारब खां पुत्र अब्दु खां, उम्र–67 वर्ष, समस्त निवासीगण–दीनदरवाजा बाहर, डीडवाना, जिला डीडवाना–कुचामन (राज.) विरुद्ध विचारण न्यायालय, सिविल न्यायाधीश, डीडवाना के दीवानी मूल प्रकरण सं. 39/2017 बअनुवान भंवरू खां बनाम फूले खां वगैराह में पारित निर्णय दिनांक 02.02.2021, एतद्द्वारा अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती है तथा विद्वान विचारण न्यायालय, सिविल न्यायाधीश, डीडवाना द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय व डिक्री दिनांक 02.02.2021 की पुष्टि की जाती है। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे। तद्नुसार डिक्री पर्चा मुर्तिब किया जावे।

23. इस निर्णय की प्रति सहित विचारण न्यायालय की तलविदा पत्रावली नियमानुसार अविलम्ब लौटाई जावे।

(नाहर सिंह मीणा),
जिला न्यायाधीश, डीडवाना

24. निर्णय व आदेश आज दिनांक 20.08.2026 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(नाहर सिंह मीणा),
जिला न्यायाधीश, डीडवाना